न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 54/2016/अपील

हरचन्द पुत्र हेमाराम उम्र 60 वर्ष जाति जांट निवासी भोजपुर तह0 खण्डेला जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.06.2016 न्यायालय तहसीलदार खण्डेला मु0 नं0 03/2016 उनवानी सरकार बनाम हरचंद

वकील अपीलांट श्री सुरेश सैनी

निर्णय **दिनांकः—31.08.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार द्वारा इस आशय का एक नोटिस अपीलांट को प्रेषित किया कि उसने पटवार हल्का बृहसिंहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 139, 710/140, किस्म चारागाह तन ग्राम भोजपुर मे से 0.05 है0 भूमि पर पक्का मकान मय बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इसलिए अपीलकर्ता अप्रार्थी को धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस प्रेषित किया। नोटिस की बिना तामील कराये ही अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.6.2016 को चुनौतिग्रस्त आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने चुनौतिग्रस्त आदेश अपीलकर्ता को बिना सुनवायी का अवसर दिए ही पारित किया है। क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भेजे गये नोटिस की तामील अपीलकर्ता पर नही हुयी है। तथा ना ही अपीलकर्ता को उक्त प्रकरण में कोई नोटिस मिला है। अपीलकर्ता ने खसरा नम्बर 139 व 710/140 की भूमि पर पक्का निर्माण कर विधुत जल सबंध लेकर अपने परिवार सहित आवास निवास कर रहा है, अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्व मे भी अपीलकर्ता के विरूद्ध 91 आर.एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की थी जिस पर दिनांक 26.6.1995 को अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता के पक्ष में 793 वर्गगज भूमि का नियमन खसरा नम्बर 139 मे से 793 वर्गगज भूमि का नियमन करने का आदेश अपीलकर्ता के पक्ष मे जारी किया गया था। यह आदेश की पालना मे दिनांक 09.10.1995 को अपीलकर्ता के पक्ष मे सनद् भी जारी हो गई थी परन्तु सहवन भूल से अधिनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों के द्वारा उक्त चारागाह भूमि मे से कटान राजस्व रिकार्ड मे अपीलकर्ता के पक्ष में नही किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से पुनः अपीलकर्ता का अतिक्रमण मानकर चुनौतिग्रस्त आदेश पारित किया है। जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश दिनांक 15.06.2016 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना के उक्त नोटिस के सम्बंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम भोजपुर के खसरा नम्बर 139, 710/140 किस्म चारागाह में से 0.05 है0 पर कच्चे व पक्के पुख्ता मकानात बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी/अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि है। जिसमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अतः राजकीय भूमि (चारागाह) पर पुख्ता पक्के मकान बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 15.06.2016 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official